

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक
प्रति,

/टीसी/60/उपां/नग्रानि/2021

भोपाल, दिनांक /09 /2021

- 1 कलेक्टर,
जिला सागर (म.प्र.)।
- 2 संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय सागर (म.प्र.)।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला सागर (म.प्र.)।
- 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
खुरई (म.प्र.)।

विषय:-

खुरई विकास योजना, 2021 में उपांतरण बाबत। (ग्राम खुरई तहसील खुरई एवं जिला सागर के खसरा क्रमांक 355/1 रकबा 30.3070 हेक्टेयर में से 0.2957 हेक्टेयर, 52/2, 53/2 रकबा 0.2630 हेक्टेयर में से 0.2000 हेक्टेयर, 411 रकबा 1.485 हेक्टेयर में से 0.450 हेक्टेयर तथा ग्राम जरवांस तहसील खुरई जिला सागर का खसरा क्रमांक 54 (एस) रकबा 1.350 हेक्टेयर।)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 के द्वारा खुरई विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 15/09 /2021

पृ. क्रमांक

4090

/टीसी/60/उपां/नग्रानि/2021

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
- 2 संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 15/09/2021

क्रमांक 4087 /टीसी/60/उपां/नग्रानि/2021 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट खुरई विकास योजना, 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	खुरई	355/1 (नजूल शीट क्र. 17-सी, प्लाट क्र. 37)	30.3070 में से 0.2957	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, वर्तमान आवासीय एवं मार्ग (शासकीय चिकित्सालय की भूमि)	वाणिज्यिक एवं मार्ग
2.	खुरई	52/2, 53/2 (नजूल शीट क्र. 23-ए, प्लाट क्र. 14)	0.2630 में से 0.2000	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग (शासकीय पशु चिकित्सालय की भूमि)	वाणिज्यिक एवं 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
3.	खुरई	411	1.485 में से 0.450	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, वर्तमान आवासीय, वर्तमान वाणिज्यिक एवं 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग (तहसील कार्यालय की भूमि)	वाणिज्यिक एवं 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
4.	जरवांस	54 (एस)	1.3500	कृषि एवं 90.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित बायपास मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं 90.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित बायपास मार्ग

नोट: प्रस्तावित उपांतरण सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में भूमि के अंतरण होने के अध्याधीन होगा।

निरंतर.....

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल